न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 23 / 2018

रईस मोंहम्मद पुत्र नन्ने खां जाति तेली निवासी कुरेडी पोस्ट पासरोटिया तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 04.06.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 16.04.2018 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को दिनांक 23.04.2018 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2018 1 लगायत 80 पृष्ठ मय दस्तावेज जरिये डाक पोस्ट के श्रीमान जी की सेवामे भिजवाई गयी थी। प्रार्थीया मोहसीना के साथ तत्कालीन तहसीलदार,गिरदावर,पटवारी के द्वारा नामान्तकरण संख्या 2654 दिनांक 11.10. 2004 व नामान्तकरण संख्या 2666 दिनांक 25.10.2004 पटवार मण्डल कस्बा शर्की टोंक द्वारा उक्त नामान्तकरण मे अनियमिताऐ करते हुए अवैधानिक रूप से दोनो नामान्तकरण खोले गये है। आदेश को रद्द किये जाने हेतु राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को भिजवाने के क्रम मे उक्त विषय मे आप द्वारा जांच करवायी गयी होगी।कृपया उसकी जांच प्रगति रिपोर्ट की नकल(छायाप्रति)नियमानुसार प्रार्थी को उपलब्ध करवाने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 831 दिनांक 23.05.2004 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 3214 दिनांक 04.06.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 2979 दिनांक 15.05.2018 से सूचित किया गया था कि वह किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय समय मे कार्यालय मे उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर चाही गई सूचना प्राप्त करे,परन्तु प्रार्थी कार्यालय मे सूचना प्राप्त करने हेतु उपस्थित नही हुआ,जिससे प्रार्थी को

जिला कलेक्टर
टोंक

सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकी। अतः अपीलार्थी कार्य दिवस मे कार्यालय मे उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर चाही गई सूचना प्राप्त कर सकते है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे एंव निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी उपस्थित होने पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करावे।

(आर.सी. ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक